



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल-मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र)

निगरानी प्रकरण क्रमांक-

सन्-2017

I/निगरानी/छतरपुर/भू.र/2017/4486

1. भरत कुमार अग्रवाल, आयु- 35 वर्ष तनय स्व. श्री नाथूराम अग्रवाल, निवासी ग्राम-ईशानगर, तहसील जिला-छतरपुर (म.प्र.)
2. अरविन्द कुमार खरया, आयु- 49 वर्ष तनय श्री मानिक लाल खरया, निवासी-लोकनाथपुरम्, छतरपुर, तहसील व जिला-छतरपुर (म.प्र.)..... निगरानीकर्ता

बनाम

1. प्यारी बाई, आयु- 50 वर्ष पत्नी श्री नारायणदास साहू,
2. कमलेश साहू, आयु- 35 वर्ष तनय श्री नारायणदास साहू, निवासीगण ग्राम-ईशानगर, तहसील व जिला-छतरपुर (म.प्र.)

3. मध्यप्रदेश शासनगैर निगरानीकर्ता

दीर्घ चक्रवर्ती मुद्दा
15/11/17 को

क
15/11/17

प्रा.दि. 7-12-17
मान्यवर,

यह निगरानी न्यायालय नायब तहसीलदार प्रभारी-ईशानगर द्वारा प्रकरण क्रमांक-33/अ-3/2016-17 में पारित आदेश दिनांक-21.08.2017 से दुःखी होकर म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

निगरानीकर्तागण सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते हैं :-

1. यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम-पठादा स्थित खसरा नंबर-1249 का बटांक खसरा नंबर-1294/1/1, रकबा-0.010 हेक्टेयर अपीलार्थीगण तथा खसरा नंबर 1294/1/2/3 प्रत्यर्थी क्रमांक-01 के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है तथा अन्य बटांक अन्य लोगों के नाम दर्ज है।
2. यह कि प्रत्यर्थी क्रमांक-01 द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार प्रभारी-ईशानगर मण्डल, तहसील व जिला-छतरपुर (जिन्हें आगे अधीनस्थ न्यायालय कहा जावेगा) के समक्ष नक्शा तरमीम हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर प्रकरण क्रमांक-33/अ-3/2016-17 दर्ज किया गया तथा अपीलार्थीगण को सूचित किये बगैर अपीलार्थीगण की स्वामित्व एवं कब्जा की भूमि, जो मुख्य सड़क ईशानगर से टीकमगढ़ मुख्य मार्ग पर स्थित है। प्रत्यर्थी क्रमांक-01 को नक्शा में तरमीम प्रस्ताव तैयार किया, जिसकी जानकारी होने पर दिनांक-31.07.2017 को आपत्ति प्रस्तुत की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाना बताया, किन्तु अपीलार्थी को उक्त तरमीम कार्यवाही में आपत्ति

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक I/निगरानी/छतरपुर/भू0रा0/2017/4486

भरत कुमार अग्रवाल आदि विरुद्ध प्यारी बाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
26-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार प्रभारी ईशानगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 33/अ-3/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21-8-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>3</p>	<p>सदस्य 20/02/2019</p>